भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *481
26.07.2019 को उत्तर के लिए

सुन्दरवन के मैंग्रोव

*481. श्रीमती लॉकेट चटर्जीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सुन्दरवन के मैंग्रोव का संरक्षण करने के लिये कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सुन्दरवन को प्लास्टिक-मुक्त बनाने के लिये उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का सुन्दरवन को एक इको-टूरिज्म केंद्र बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार सुन्दरवन में वन्यजीव के संरक्षण के लिये कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

''सुन्दरवन के मैंग्रोव'' के संबंध में श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा दिनांक 26.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 481* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) सरकार प्रोत्साहक उपायों के साथ-साथ विनियामक उपायों के माध्यम से सुंदरवन में मैंग्रोव आवरण को सुरक्षित रखने और उसमें अभिवृद्धि करने के लिए कदम उठा रही है। प्रोत्साहक उपायों को राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के तहत मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सुंदरवन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सहित प्रतिभागी तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन हेतु परियोजनाएं प्रतिपादित और कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल राज्य भी सुंदरवन के कच्छ वनस्पतियों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। विनियामक उपायों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना (2011 और 2019); वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; भारतीय वन अधिनियम, 1927; जैवीय विविधता अधिनियम, 2002 और समय समय पर इन अधिनियमों के तहत संशोधित किए गए नियमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

(ख) वर्ष 2017-18 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुंदरवन को 'प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल नियंत्रण बोर्ड ने समूचे सुंदरवन क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियों के प्रवेश, उपयोग और परिग्रहण को प्रतिबंधित करते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 (क) और वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (क) की धाराओं के तहत दिनांक 03.09.2001 के ज्ञापन सं. 1833 (क)-3 (ध)-89/2001 द्वारा निदेश प्रवर्तित किए हैं। संबंधित पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को उल्लंघन होने के मामले में अपराधियों (यदि कोई हो), के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ग) वर्तमान में सुंदरवन को एक इको-टूरिज्म केन्द्र बनाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) वन्यजीव संरक्षण के प्रयोजनार्थ हेतु सुंदरवन क्षेत्र को 'बाघ रिजर्व' के रूप में घोषित किया गया है। सुंदरवन के वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण, विधिक रूप से अधिदेशित बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कच्छ वनस्पति क्षेत्र (मैंग्रोव) का प्रबंधन, अवैध शिकार, पर्यावास प्रबंधन, निगरानी और कर्मचारी-वर्ग के विकास हेतु नियम निर्धारित हैं।

****